


प्रेस विज्ञप्ति
“कृषि विस्तार प्रोत्साहन पुरस्कार 2016-17”

“कृषि विस्तार प्रोत्साहन पुरस्कार 2016-17” (निर्धारण वर्ष 2015-16 की प्रगति पर) हेतु कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

1. निम्नानुसार छः स्टार टेक्नोलॉजी का उपयोग व प्रचार प्रसार करने वाले कृषक ही आवेदन कर सकते हैं :-
 - ✓ अरहर उत्पादन में नीपिंग करना।
 - ✓ एकल बड द्वारा अदरक की पौध तैयार कर लगाना।
 - ✓ जैविक खेती में स्वनिर्मित उत्पादों तथा पोषक/कीट-रोग प्रबंधन।
 - ✓ टमाटर में अरहर की अंतरवर्ती खेती।
 - ✓ रबी अरहर की खेती।
2. जो कृषक छः टेक्नोलॉजी का प्रचार-प्रसार 100,50,30 कृषकों को प्रोत्साहित करने वाले कृषकों को वरीयता क्रम पृथक-पृथक तैयार कर चयन श्रेणी में रखा जायेगा।
3. छः टेक्नोलॉजी प्रचार-प्रसार का सत्यापन विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करेंगे तथा संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी सत्यापन पर प्रतिहस्ताक्षर कर इस कार्यालय में निर्धारित समय पर जमा करेंगे।
4. कृषक 5 वर्षों से कांकेर जिले में खेती कर्ता हो, वही आवेदन कर सकता है।
5. आवेदक छत्तीसगः का मूल निवासी हो।
6. आवेदन पत्र प्रारूप में लिखित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक 29.11.2016 को सायं 5 बजे तक जमा करना आवश्यक है, उसके पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन पत्र प्रारूप प्रत्येक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय/कृषि जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा)
सह उप संचालक कृषि
जिला - उ0ब0कांकेर(छ0ग0)

कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर “आत्मा”
(उपसंचालक कृषि) जिला उ0 ब0 कांकेर (छ0ग0)


क्रमांक/एक्स.रि./कृ.पु./विज्ञापन/2016-17/160
प्रति,

कांकेर, दिनांक 04/11/2016

उपसंचालक
जिला जनसंपर्क कार्यालय
जिला -उत्तर बस्तर कांकेर
विषय :- प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ बावत् ।

—00—

कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति पंजीकृत समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।


प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा)
सह उप संचालक कृषि
जिला - उ0ब0कांकेर(छ0ग0)